संलग्नक-1

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या: 2569 /XVII(4)/2011/230/11TC
देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 के नियम-7 (1) के तहत उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं देय भत्तों तथा सेवा शर्तें निम्नवत् निर्धारित की जाती हैं:-

1. आयोग के अध्यक्ष का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के वेतन के समतुल्य वेतन होगा एवं प्रत्येक अन्य सदस्य का वेतन राज्य सरकार के सचिव के वेतन के समतुल्य होगा। परन्तु जहां अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक हो या अर्द्ध सरकारी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान का सेवानिवृत्ति सेवक हो वहाँ उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या उपान्तिक लाभों के पेंशनरी मूल्य या दोनों सहित भुगतेय वेतन लिए गए अंतिम वेतन से अधिक नही होगा।

2. यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में हो तो उसका वेतन उनके लिए लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

3. महंगाई भत्ता- अध्यक्ष एवं प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार की समतुल्य पंक्ति के पदाधिकारियों के लिए अनुमन्य दरों पर अपने वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

4. आयोग के अध्यक्ष के लिये उक्त के अतिरिक्त गोपन विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 26/1/XXI/2009 दिनांक 23-10-2009 एवं इसी के क्रम में गोपन विभाग के संशोधन आदेश संख्या 26/1/XXI/2009 दिनांक 1-12-2009, समसंख्यक कार्यालय ज्ञाप संख्या 29-3-2010 एवं दिनांक 31-8-2010 द्वारा निर्धारित/अनुमन्य निम्नवत सुविधायें भी अनुमन्य होंगी-

(i) पदीय कर्तव्यों के निवर्हन हेतु संविदा पर ड्राईवर सहित एक स्टाफ कार परन्तु 150 लीटर प्रतिमाह की सीमा मुख्यालय की यात्रा हेतु लागू होगी। मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु वास्तविक खर्च के आधार पर ईंधन की अनुमन्यता होगी। महानुभाव को संबन्धित विभाग द्वारा शासकीय वाहन मय चालक सहित उपलब्ध कराया जायेगा। शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा में किराया का वाहन/टैक्सी उपलब्ध कराया जायेगा जिसका अधिकतम किराया रू0 25000/- प्रतिमाह होगा। उक्त मासिक किराये में वाहन के

साथ वाहन चालक एवं गाड़ी का अनुरक्षण सम्मिलित होगा। पी0ओ0एल0 की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी।

(ii) कार्यालय एवं आवास पर एक-एक टेलीफोन।

(iii) वैयक्तिक सहायक-- एक (नियत वेतन रू0 8000.00 प्रतिमाह)

(iv) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-एक (विभाग द्वारा)

(v) पदीय दायित्वों के लिये राज्य के अन्दर रेल यात्रा करने पर उपलब्ध उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ। राज्य के अन्दर रेल यात्रा करने की सुविधा के साथ-साथ प्रदेश के बाहर की यात्रा हेतु भी रेल यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी।

(vi) पदीय दायित्वों के लिये राज्य के बाहर वायुयान द्वारा यात्रा करने पर इकोनोमी श्रेणी में एक सीट।

(vii) दैनिक भत्ता-शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप।

(viii) एक गनर।

(ix) राज्य सरकार के चिकित्सालायों में निःशुल्क चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार।

(x) आवासीय सुविधा या रू0 7500/-- प्रतिमाह।

(xi) पदीय कर्तव्यों के पालन हेतु प्रदेश के बाहर की शासकीय यात्रा शासन के प्रमुख सचिव के अनुरूप राज्य सरकार के प्रदेश के बाहर स्थित उत्तराखण्ड निवास एवं अन्य निरीक्षण भवनों में ठहरने की सुविधा।

5- आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों की अर्हतायें, कार्यकाल व कार्य आदि उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण नियमावली, 2011 की संगत नियमों के अनुसार रहेंगे।

6- उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 के नियम-12 के अधीन राज्य सरकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं सचिव के वेतन, भत्तों, सेवाशर्तों एवं कार्य व्यवहार के नियमों में संशोधन कर सकती है।

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

सख्या: 2463 / XVII(4)/2012/ 230/11 TC

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 8 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2012

विषयः उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतनभत्ते आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 64 / बा0सरं0आ0 / 2012–13 दिनांक 12–4–2012 के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या 2569 / XVII(4)/2011/230/11TC दिनांक 21–12–2011 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये वेतन भत्ते एवं सेवा शर्ते निर्धारित की गई थी, के प्रस्तर–6 एवं उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नियमावली, 2011 के नियम–12 में निहित व्यवस्था के तहत उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21–12–2011 को तात्कालीक प्रभाव से निरस्त करते हुए उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के अध्यक्ष हेतु गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–26 / 1 / XXI / 2009 दिनांक 23–10–2009 के अनुरूप वेतन / मानदेय, भत्तें तथा अन्य सुविधायें तथा सदस्यों को मात्र रू0 3000 / – प्रतिमाह का मानदेय अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त आदेश रिक्त नये पदों पर तैनात किये जाने वाले अध्यक्ष / सदस्यों पर लागू होगा।

3– उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून के सदस्यों को उक्त मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता अनुमन्य नही होगा।

4– चूंकि उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून एवं उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग देहरादून दोनो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संचालित है, अतः समानता एवं एकरूपता की दृष्टि से उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी उक्तानुसार ही सुविधायें अनुमन्य होंगी।

5– उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरूदन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हतायें, कार्यकाल व कार्य आदि उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 के संगत नियमों के अनुसार रहेंगे।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्याः (1)/XVII(4)/2011/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून।
3. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी/कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0एस0 नपलच्याल)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या–842/26/1/XXI/2012
देहरादूनः दिनांक 09 नवम्बर, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों आदि में नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को सुविधायें अनुमन्य किये जाने विषयक समस्त विद्यमान नियमों/आदेशों को अतिक्रमित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार अथवा अन्य पदों पर शासन द्वारा नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप में मानदेय/भत्ते/स्टाफ व अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगीः–

1. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उक्त महानुभावों को प्रतिमाह रूपये 5,000/–(रूपये पांच हजार मात्र) मानदेय देय होगा।

2. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उक्त महानुभावों को ड्राइवर सहित एक स्टाफ कार अनुमन्य होगी। शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा में किराये का वाहन (टैक्सी) उपलब्ध कराया जाय। उक्त वाहन का मासिक किराया अधिकतम रूपये 25000/– होगा। उक्त मासिक किराये में वाहन के साथ वाहन चालक एवं गाड़ी का अनुरक्षण व्यय सम्मिलित होगा। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में मुख्यालय की यात्राओं हेतु 150 लीटर ईंधन प्रतिमाह की सीमा होगी तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त वास्तविक खर्च के आधार पर ईंधन की अनुमन्यता होगी। ईंधन की व्यवस्था सम्बन्धित विभाग द्वारा की जायेगी।

3. कैम्प आफिस कम रेजिडेन्स हेतु रू0 10,000/– प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा।

4. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उक्त महानुभावों को एक वैयक्तिक सहायक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक समवर्ती रूप में (को–टर्मिनस) अनुमन्य होंगे। शासकीय सेवक की अनुपलब्धता की स्थिति में रूपये 7000/– प्रतिमाह नियत मानदेय पर एक वैयक्तिक सहायक तथा रूपये 5000/– प्रतिमाह नियत मानदेय पर एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त कार्मिकों का चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

5. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में [illegible] जायेगा जहां सम्बन्धित विभाग/परिषद का मुख्य कार्यालय हो। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त मुख्यालय से बाहर की यात्राओं हेतु रूपये 250/– प्रतिदिन के अनुसार दैनिक भत्ता देय होगा।

6. पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में रेल द्वारा यात्रा करने पर उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ अनुमन्य होगी।

7. मानदेय, वाहन, स्टाफ, टेलीफोन, यात्रा भत्ता इत्यादि का व्यय भार उस विभाग या निगम या परिषद द्वारा वहन किया जायेगा जिसमें उन्हें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सलाहकार या अन्य किसी पद पर नियुक्त किया गया है।

8. उक्त महानुभावों को पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना सर्किट हाउस या अन्य सरकारी निरीक्षण भवन में ठहरने की सुविधा होगी। स्थानीय सद्भाव सम्बन्धित निकाय के स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 110/NP/XXVII(5)/2012 दिनांक 01 नवम्बर, 2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्या–842(1)/26/1/XXI/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 मुख्यमंत्री, समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिव।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
6. वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रधान कार्यालयाध्यक्ष।
11. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड।
13. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।